Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अवैध खनन को वैध दर्शाकर राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में, एसीबी द्वारा खनिज विभाग के अधिकारी–कर्मचारी, क्रेशर मालिक व ठेकेदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज**

जयपुर, दिनांक 13.01.2026 मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भरतपुर इकाई द्वारा प्राथमिक जांच के उपरान्त अवैध खनन को वैध खनन दिखाकर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाना पाये जाने पर आरोपीगण के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया है।

एसीबी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि खनिज विभाग भरतपुर के खनि. अभियंता कर्मचारी व क्रैशर मालिकों व रॉयल्टी ठेकेदारों द्वारा बन्द पडी खदानों के रवन्नों का दुरूपयोग कर अवैध खनन कराया जा रहा है।

जिस पर एसीबी द्वारा में जांच में पाया गया की निम्न आरोपीगण– **01. श्री रामनिवास मंगल तत्कालीन खनिज अभियंता भरतपुर हाल खनिज अभियंता कोटा। 02. श्री वीरेन्द्र कुमार खनिज कार्यदेशक–द्वितीय। 03. श्री राजेन्द्र सिंह तत्कालीन खनिज अभियंता 04. श्री संजू सिंह तत्कालीन सर्वेयर 05. श्री भीम सिंह तत्कालीन कार्यदेशक–प्रथम 06. लीज मालिक श्री अभिषेक तंवर 07. क्रेशर मालिक जेपी एण्ड ब्रॉस, 08. श्री पारस इन्फ्रा 09. सीडीएस इन्फ्रा 10. श्री बालाजी एण्ड कम्पनी 11. शुभ लाभ स्टोन क्रेसर 12. रॉयल्टी ठेकेदार मैसर्स देव दशरथ** व अन्य ने मिलकर लाखों टन खनिज सम्पदा का अवैध खनन कर रखन्नों का दुरूपयोग कर वैध खनन दिखाकर अपने पद का दुरूपयोग कर उपरोक्त खनिज विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों व क्रैशर मालिकों व रॉयल्टी ठेकेदारों द्वारा सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं।

जिस पर पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी हैं।